न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/1594/2006/चित्तोड़गढ़

1. शिवचरणसिंह पिता हिम्मतसिंह जाति राजपूत निवासी भैंसरोड़गढ़ तहसील रावतभाटा जिला चित्तोड़गढ़ ।

.....**अपीलांट**

बनाम

1– राज्य जरिये जिला कलक्टर, चित्तोड़गढ़।
2– तहसीलदार, रावतभाटा ।
3– प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बेंगू।

..... रैस्पोडेंट्स

खण्ड पीठ

श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री अयूब खान अधिवक्ता, अपीलांट।
(2) श्रीमती पूनम माथुर अति0 राजकीय अधिवक्ता रैस्पोडेंट।

निर्णय

दिनांक : 9 जुलाई, 2019

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोड़गढ़ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–10–2005 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसके द्वारा जिला कलक्टर, चित्तोड़गढ़ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 8–6–2004 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 156/2004 शीर्षक शिवचरणसिंह बनाम राज्य सरकार खारिज की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने विचारण न्यायालय में वाद इस्तकरारहक, हुक्म ईम्तनाई दवामी एवं बेदखली का इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 125 क्षैत्रफल 36–43 है0 एवं खसरा नम्बर 126 क्षैत्रफल 0–52 है0

वाके ग्राम लुहारिया में स्थित होकर ख0 नं0 125 पेटा तालाब की और ख0 नं0 126 पाल की भूमि होकर वादी की मिल्कियत में है जो जागीर कमिश्नर के आदेश दिनांक 27–6–1959 से राजस्थान लैण्ड रिफामर्स एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर एक्ट, 1952 के अन्तर्गत ठिकाने के मानते हुए ठिकाने की खुदकाश्त की घोषित की गई है लेकिन राजस्व अभिलेख में बिला नाम अंकित कर दिया है जो उचित नहीं है। इसलिए ख0 नं0 125 व 126 को वादी की खातेदारी घोषित की जाकर प्रतिवादीगण का कब्जा हटाया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्धारा दावा दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर वाद वादी दिनांक 8–6–2004 को खारिज कर दिया जिस आदेश की अपील अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तोड़गढ़ मं की गई जिन्होंने भी अपने निर्णय दिनांक 28–10–2005 से अपील अस्वीकार कर दी गई जिस निर्णय दिनांक 28–10–2005 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4– विद्धान अधिवक्ता अपीलांट का तर्क है कि विवादग्रस्त आराजी वादी/अपीलांट की मिल्कियत की है जो जागीर कमिश्नर के आदेश दिनांक 27‘6–1959 से राजस्थान लैण्ड रिफार्मस एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर एक्ट 1952 के अन्तर्गत ठिने की मानते हुए ठिने की खुद काश्त की घोषित की गई है। राजस्व अभिलेखों में इसे बिलानाम अंकित कर दिया है, जो सही नहीं है। जागीर कमिश्नर के आदेश में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि ठिकाना पेटा काश्त करते थे, तालाब से सिंचाई होती है तो तालाब सरकारी होगा–पेटा काश्त का हक जागीरदार का बदस्तुर कायम रहेगा। जागीर कमिश्नर ने दोनों आराजीयात को पेटा काश्त ठिकाने की मानते हुए खुदकाश्त की होना तय कर निजी सम्पत्ति होना घोषित किया है । इस प्रकार अपीलांट की विवादग्रस्त आराजी खातेदारी की भूमि को राजस्व अभिलेख में बिलानाम सरकार दर्ज करने में अहम भूल की है। आराजी ख0 नं0 125 व 126 पेटा काश्त तालाब व पाल वादी की निजी सम्पत्ति है। विचारण एवं परीक्षण न्यायालय द्धारा किसी प्रकार की कोई तनकीयात कायम नहीं की गई एव ंना ही तनकीनुसार वाद का निस्तारण किया गया। ऐसी सूरत में प्रथम दृष्ट्या दोनों न्यायालयों के निर्णय व डिक्री

विधि अनुसार नहीं होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

5– इसके विपरीत विद्वान राजकीय अधिवक्ता रैस्पोडेंट का तर्क है कि वादग्रस्त आराजी नामान्तकरण सं0 24 से सिलिंग में अधिग्रहित होकर बिलानाम दर्ज है जिसे सम्वत् 2058 में रबी ठेके पर काश्त हेतु दी गई है। वादग्रस्त आराजी पेटा तालाब व पाल की भूमियां हैं जिनका स्वामित्व भूमिधारी तहसीलदार का है। इसलिए परीक्षण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय द्धारा जो निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, वह विधिसम्मत एवं कानून सम्मत है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जाकर अपीलीय न्यायालय के निर्णय व डिक्री को बहाल रखा जावें।

6– हमने विद्वान अधिवक्तागण की ओर से की गयी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत अपील में परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह माना है कि प्रश्नगत भूमि सीलिंग कानून के तहत अधिग्रहण कर बिलानाम दर्ज की है। नियमानुसार यह भूमि वादी के खाते की नहीं है, केवल पेटा काश्त के लिए अधिकार दिये हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि सीलिंग में अधिग्रहित नहीं की जा सकती है। जागीर कमिश्नर ने उक्त प्रश्नगत तालाब को सरकारी माना है तथा वादी को पेटा काश्त के अधिकार दिये। ऐसी स्थिति में प्रश्न भूमि वादी के खाते में नहीं मानी जा सकती है। इस भूमि को बिलानाम माना जाना ही उचित माना है। इसके अलावा अपीलीय न्यायालय ने भी अपने परीक्षण में यही माना है कि इस प्रकार की भूमि के बारे में जागीर कमिश्नर द्धारा दिये गये निर्णय अनुसार अंतिम रूप से विनिश्चय हो चुका है व वादग्रस्त भूमि पेटा तालाब व पाल की होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 (2) के अन्तर्गत खातेदारी देय नहीं होने से परीक्षण न्यायालय ने वाद सही खारिज किया है। इसलिए हमारी विनम्र राय में वादीगण का वाद परीक्षण न्यायालय व अपीलीय न्यायालय ने साबित नहीं होने के कारण व वादग्रस्त भूमि पेटा तालाब व पाल की होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 (2) के अन्तर्गत खातेदारी देय नहीं होने से सही खारिज किया है। इसलिए दोनों न्यायालयों द्धारा पारित निर्णय व डिक्री युक्तियुक्त व न्यायसंगत है जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं और अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8– अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट खारिज की जाती है। राजस्व अपील अधिकारी, चित्तोड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–10–2005 व जिला कलक्टर, चित्तोड़गढ़ द्धारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 8–6–2004 यथावत् रखे जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य